FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

केशाराम बनाम राज० सरकार जरिये तहसीलदार

किस्म मुकदमा रा०वाद 88 RT Act नं. 176/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पूनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 RT Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर बायतु	
28/09/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 1 का सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष प्रतिवादीगणों को वादी वकील द्वारा तर्क किया गया। तहसीलदार बायतु के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक - 07/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर बायतु	प्रतिवादी नं० 2 से 6 को तर्क किया गया है [signature] (नरपत पू.)
07/10/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाए पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/11/2020 को पेश हो। [initials]	

हुक्म | वादी ... पीठ अधिकारी ...
08/11/2021

20/11/2020 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/12/2020 को पेश हों।

21/12/2020 — वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 केशाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति-जाट निवासी-जोगासर कुआं, छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर तथा PW-2- आईदानराम पुत्र श्री चुतराराम जाति-जाट निवासी-जोगासर कुआं छीतर का पार तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी साक्ष्य बन्द किये जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-09/02/2021 को पेश हो।

केसाराम
आईदानराम
अ. निशान

सहायक कलेक्टर
बायतु

09/02/2021 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 26/04/2021 को पेश हों।

26/04/2021 — पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 14/06/2021 को पेश हों।

14/06/2021 — वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-08/11/2021 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/11/2021	वादी वकील उपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-21/03/2022 को पेश हो।	
21/03/2022	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगण अनुपस्थित/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-18/05/2022 को पेश हो।	
18/05/2022	वादी वकील उपस्थित/ प्रतिवादीगण अनुपस्थित/ वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया, डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 176 / 2020

वादीगण

1. केशाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी जोगासर कुंआ, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बायतु
2. आईदानराम पुत्र चुतराराम
3. आसूराम पुत्र चुतराराम
4. गिरधारीराम पुत्र चुतराराम
5. बाबुराम पुत्र चुतराराम
6. लालाराम पुत्र चुतराराम
7. श्रवणराम पुत्र चुतराराम
8. भोजा पुत्र सुखा
9. मु. जमना पत्नी उम्मेदाराम जातियान् जाट निवासी जोगासर कुंआ, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादी

–: निर्णय :– **दिनांक : 18-05-2022**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 9 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 351, 418 / 35, 446 / 350, 623 / 350 रकबा क्रमशः 15.7917, 36.0571, 2.4432, 1.9821 हैक्टेयर में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 एक ही पूर्वज के वंशज है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादी के दादा के कब्जे काश्ती की थी तथा वक्त सेटलमेंट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 9 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। उक्त आराजी में वादी का नाम किशनाराम दर्ज हो गया जबकी वादी का सही नाम केशाराम है। वादी के नाम से बने दस्तावेज आधार कार्ड, लाईसेंस, पैनकार्ड व राशन कार्ड में केशाराम दर्ज है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम किशनाराम के स्थान पर केशाराम दर्ज किया जावें। जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन तामिल शुदा प्राप्त। अन्य प्रतिवादीगणों को वादी वकील द्वारा तर्क किया गया। वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में ई.1 वादी स्वयं केशाराम व ई.2 स्वतंत्र गवाह आईदानराम के शपथ पत्र पेश किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी वकील को सुना गया। चूंकि वादी के नाम से बने दस्तावेज आधार कार्ड, लाईसेंस, पैनकार्ड व राशन कार्उ में केशाराम दर्ज है उक्त आराजी में भी किशनाराम के स्थान पर केशाराम घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 351, 418/35, 446/350, 623/350 रकबा क्रमशः 15.7917, 36.0571, 2.4432, 1.9821 हैक्टेयर में किशनाराम पुत्र उम्मेदाराम के स्थान पर केशाराम पुत्र उम्मेदाराम दर्ज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर एवं
जिला बाड़मेर
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादी

केशाराम

बनाम

प्रतिवादीगण

राजस्थान सरकार जरिये

तहसीलदार बायतु वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–176 / 2020.

निर्णय दिनांक :–

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18.05.2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा जोगासर कुंआ पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 351, 418 / 35, 446 / 350, 623 / 350 रकबा क्रमशः 15.7917, 36.0571, 2.4432, 1.9821 हैक्टेयर में किशनाराम पुत्र उम्मेदाराम के स्थान पर केशाराम पुत्र उम्मेदाराम दर्ज किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 18.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	